

पत्रोडा की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है अतः
पान्ते अंतिम क्रम दिनांक 13/8/19 को फेर
होगा

13/8/19


पत्रापनी तहसिल। पत्रापनी का दफतरी
अवलोकन किया गया। पत्रापनी के अफिलेन
व अफापी संख्या-01 अफिषापी की ओर
ले हुए अंतिम पत्रोडा की रिपोर्ट अनुसार
पक-15H का मुंनं-40 पत्थर नं-40/61
के किला नं 21/2 का 0.026, 22/2
का 0.025, 23/1 का 0.025, 23/1 का
0.25, 24/1 का 0.25, 25/1 का 0.25
में लीडर द्वारा रात्ता फर्क रिपोर्ट है
जो कि वर्तमान में कपल लगाने
की मिट्टी चढाने अफरुह किया हुआ
है साथी द्वारा प्रोम्ट रात्ता को अफीर
किया जात किला नं - 1, 10, 11, 20, 21
में रात्ता लीडर कले का निवेदन
किया है अफि साथी को अपनी इषि
अनि में आने आने के लिए अफि
लीडर अफा रात्ता है तथा राजस्थान
कामकापी अधिनियम की धारा 25 ए के
तहत अफि में लीडर द्वारा रात्ता को
निरस्त किये जाने का कोई कार्र
साधन नहीं है अतः साथी का साथी
पत्र लीकाल किये जाने योग्य नहीं है
के काय्य अफरुह किया जाता है। अफापी
संख्या-01 तहकीलदा अफरुह को अफरुह

फर्द अहकाम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जा
------------	-----------------------------------	---------------------------------------

किपा आता है कि एक-15/1 का सु
 नं-40 फल्य नं 40/61 के जिला नं
 2/2 का 0.026, 22/2 का 0.025, 23/1
 का 0.025, 23/1 का 0.25, 24/1 का
 0.25, 25/1 का 0.25 से लीडर हटा
 रान्त हकी निकास है जो कि वर्तमान
 में कराहा लगाकर ऊंची मिट्टी चढाकर
 अवरुद्ध किपा हुआ, को उन्हे प्रमाण
 ले प्रुल्लषाया जाये, ताकि उन्हे लार्जजनिफ
 रान्त को छोड़े गले कारकारान लाभ
 ले लके और न्यायहित व अनहित में
 ऐसा किपा आता न्यायसंगत है पत्रापी
 निधमानुसार दायिल दफतर हो नम्बर
 से भ्रम हो।

निर्णय सुनले न्यायालय में ही
 भ्रम सुनाया गया।


 (मनमोहन मीना)
 उपखण्ड अधिकारी
 अनूपगढ